विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	2264
उत्तर की तिथि	:	12—08—2022
विषय	:	प्रतिनियुक्ति
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
संबंधित मंत्री	:	शिक्षा मंत्री

	प्रश्नः	उत्तरः
(क)	क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः— यह सत्य है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, छोटा खम्बा से बी0एस0सी0 नॉन—मैडिकल स्टाफ गत दो वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर जिला किन्नौर से बाहर जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला उप—निदेशक के कार्यालय में तैनात है व अपना वेतन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, छोटा खम्बा से प्राप्त कर रहा है; यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिनियुक्ति को तुरन्त रद्द करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो कारण; और	(क) एवं (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	यह भी सत्य है कि हमीरपुर से गणित बी0एस0सी0 नॉन—मैडिकल स्टाफ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, निगुलसरी में स्थानान्तरित किया गया था, ने भी निगुसरी में ज्वाइन नहीं किया है; यदि हां, तो कारण ?	

प्रश्न संख्या अतारांकित 2264 जोकि श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): द्वारा प्रतिनियुक्ति बारे पूछा गया है के (क) एवं (ख) भाग का उत्तर :–

(क) जी हां, श्री नरेश कुमार टी0जी0टी0 मैडिकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा खम्बा जिला किन्नौर से जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला उप–निदेशक कार्यालय में दिनांक 21–06–2021 से Competent authority के पूर्व अनुमोदन / स्वीकृति उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर हैं। उक्त अध्यापक की नियुक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा खम्बा जिला किन्नौर में दिनांक 06–09–2016 को हुई थी तथा प्रतिनियुक्ति की तिथि को उक्त अध्यापक ने जनजातीय क्षेत्र में चार वर्ष से अधिक का सेवाकाल पूर्ण कर लिया था, जिस कारण वर्तमान में अध्यापक की प्रतिनियुक्ति को रद्द करना सम्भव नहीं है।

(ख) जी हां। श्रीमती सुषमा शर्मा टी0जी0टी0 नॉन मैडिकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोअर हरेटा जिला हमीरपुर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निगुलसरी जिला किन्नौर के लिए दिनांक 11–02–2022 को स्थानान्तरित हुई थी परन्तु दिनांक 25–3–2022 से Competent authority के पूर्व अनुमोदन / स्वीकृति उपरान्त उप निदेशक कार्यालय हमीरपुर जिला हमीरपुर में तीन माह के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उप शिक्षा निदेशक हमीरपुर द्वारा उक्त अध्यापिका को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलोड़ जिला हमीरपुर में दिनांक 28–03–2022 से प्रतिनियुक्त किया गया है। वर्तमान में उसकी प्रतिनियुक्ति दिनांक 30–6–2022 को Competent authority के पूर्व अनुमोदन / स्वीकृति उपरान्त से अग्रिम तीन माह के लिए बढ़ाई गई है।